

अवनीश कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, लखीसराय, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी, अररिया, खगड़िया,  
दरभंगा, मधेपुरा, भोजपुर, सिवान एवं नालंदा।

पटना, दिनांक- 27.3.2019

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹6,15,93,000/- (छः करोड़ पंद्रह लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।


महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹6,15,93,000/- (छः करोड़ पंद्रह लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विसरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन



(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्वीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह  
भा0प्र0से0  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, मधुबनी, लखीसराय, भागलपुर, गया, सीतामढ़ी, अररिया, खगड़िया,  
दरभंगा, मधेपुरा, भोजपुर, सिवान एवं नालंदा।

पटना, दिनांक- 2019

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹6,15,93,000/- (छः करोड़ पंद्रह लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹6,15,93,000/- (छः करोड़ पंद्रह लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विसरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।


10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
14. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-


(अवनीश कुमार सिंह)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-03/2018 सा0-.....66...../ पटना, दिनांक- 27/3/2019  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव


क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वा० का ई० एवं रख रखाव	दूरभाष
		01 01	01 03	01 04	01 06	01 07		06 01	11 01	13 01	13 02	13 03
	कूट संख्या -	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	वैशाली	0	0	0	0	0	0	1,00,000	50,000	20,00,000	8,00,000	1,00,000
2	मुजफ्फरपुर	20,00,000	9,00,000	0	0	3,000	29,03,000	0	50,000	50,00,000	40,00,000	1,00,000
3	सारण	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00,000	15,00,000	0
4	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	1,00,000	40,00,000	25,00,000	50,000
5	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	भागलपुर	14,00,000	3,00,000	1,00,000	1,00,000	50,000	19,50,000	0	50,000	40,00,000	35,00,000	0
7	गया	0	0	0	0	0	0	70,000	1,00,000	0	0	0
8	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	नालंदा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग -	34,00,000	12,00,000	1,00,000	1,00,000	53,000	48,53,000	1,70,000	3,50,000	170,00,000	123,00,000	2,50,000

contd....

  
 सरकार के उप सचिव  
 सामान्य प्रशासन विभाग

क्र० सं०	जिला का नाम	विद्युत प्रभार	वर्दी / पोशाक	माड़े की गाड़ी का भुगतान	किराया, महसूल एवं कर	आतिथ्य व्यय	सामग्री एवं पूर्तियाँ	कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	प्रशिक्षण व्यय	संविदा सेवाएँ	कुल										
												कूट संख्या -	13 04	13 06	13 10	14 01	20 01	21 01	20 02	20 03	28 02
												14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	वैशाली	2,70,000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	33,45,000										
2	मुजफ्फरपुर	30,00,000	0	0	20,00,000	0	15,00,000	0	0	0	185,53,000										
3	सारण	0	0	0	0	0	10,00,000	0	0	40,00,000	85,00,000										
4	मधुबनी	15,00,000	0	0	0	5,00,000	15,00,000	0	1,00,000	0	102,50,000										
5	लखीसराय	4,00,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,00,000										
6	भागलपुर	0	1,00,000	0	10,00,000	5,00,000	10,00,000	0	0	0	121,00,000										
7	गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,70,000										
8	सीतामढ़ी	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000										
9	अररिया	4,00,000	0	3,00,000	0	0	7,00,000	0	0	0	14,00,000										
10	खगड़िया	0	0	0	0	0	5,00,000	0	0	0	5,00,000										
11	दरभंगा	0	0	0	0	0	6,00,000	0	0	0	6,00,000										
12	मधेपुरा	0	0	6,00,000	0	0	2,00,000	0	0	0	8,00,000										
13	मोजपुर	0	0	12,00,000	0	0	6,00,000	0	0	0	18,00,000										
14	सिवान	0	0	5,00,000	0	0	1,00,000	0	0	0	6,00,000										
15	नालंदा	0	0	8,00,000	0	0	5,00,000	12,00,000	0	0	25,00,000										
कुल योग -		55,70,000	2,00,000	34,00,000	30,00,000	10,00,000	82,00,000	12,00,000	1,00,000	40,00,000	615,93,000										

(छ: करोड़ पंद्रह लाख तिरानवे हजार रूपये) मात्र।

  
सरकार के उप सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग